जीई रोड के दोनो किनारो के अवैध कब्जे होंगे बेदखल

भिलाईनगर। शहर की सुंदरता व सुगम यातायात में अवैध कब्जा तथा सार्वजनिक स्थलों पर खड़े वाहन , कंडम वाहन बाधक है। इसे हटाने निगम द्वारा आगामी सप्ताह से अभियान चलाया जायेगा , जिसमें व्यापारियों का सहयोग अपेक्षित है। निगम सभागार में आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर जी.
ई.रोड से लगे सर्विस रोड पर रि-सेल वाहनो के विक्रेताओं की आहुत बैठक में उक्त बाते अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने कहा उन्होने व्यापारियों को जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है कि फुटपाथ, पार्किंग,सार्वजनिक स्थल, सड़क से अवैध कब्जा हटाया जाये , ताकि यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न हो । इसी के परिपालन में भिलाई के सेकण्ड हैण्ड वाहन विक्रेताओ को इस बात की जानकारी हो कि जी.ई.रोड के दोनो किनारो पर सर्विस रोड में अपने विक्रय वाहनो को प्रदर्शन के लिए खड़े रखते है जो यातायात में सबसे बड़ा बाधा है। व्यापारी अपने वाहन को वहां से हटा लेवे ताकि निगम द्वारा किये जाने वाले कार्यवाही से बच सके। दक्षिण गंगोत्री व्यवसायी क्षेत्र से आये व्यापारी हरजीत सिंह तथा हरीश पटेल ने सुझाव देते हुए कहा कि निगम अपनी भूमि का हमसे किराया वसूल करे अथवा हम व्यापारियों को अपने वाहनो को खड़े करने के लिए एक स्थान निर्धारित कर देवे ताकि हम अपना वाहन विक्रय हेतु सड़क पर न रखे।

अपर आयुक्त एवं उप अधीक्षक यातायात पुलिस ने इस बात पर कड़ा आपत्ति किये कि संजय नगर तालाब के पास सडक मोड पर सर्विस सेंटर चलाया जा रहा है और वाहन को सड़क पर खड़ा रखता है व्यापारी उसे तत्काल बंद करे। अपर आयुक्त श्री द्विवेदी ने व्यापारियों को जानकारी देते बताया कि आगामी दो दिनो में जी.ई.रोड के दोनो किनारो में मार्किंग कर अवैध कब्जे पर कार्यवाही सुनिश्चित किया जावेगा। वाहन व्यापारी अपने वाहन सुरक्षित स्थान पर रखे ताकि निगम कार्यवाही से होने वाले असुविधा से बचा जा सके।

बैठक में जोन आयुक्त खिरोद्र भोई, अमिताभ शर्मा, पूजा पिल्ले, यातायात पुलिस विभाग के उप अधीक्षक पी.डी. चन्द्रा, राजस्व अधिकारी बाल कृष्ण नायडू , मलखान सिंह सोरी , वाहन विक्रेता जोगेन्द्र , सय्यद अली , मोहम्मद आलम, शिवकुमार सिन्हा, शंकरदास, बंटी सिद्दीकी, संतोष साहू, नरेश आदि उपस्थित रहे।